निग0-02607/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0।

1- बैजनाथ तनय नर्वदा प्रसाद पटेल उम्र 74 वर्ष निवासी ग्राम भीटा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 -------- आवेदक।

बनाम

1- संतोष कुमार त्रिपाठी तनय रामप्रसाद त्रिपाठी,

2- राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी पिता रामप्रसाद त्रिपाठी,

------- दोनो निवासी ग्राम गुढ़वा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0।

------- अनावेदक गण।

आवेदक द्वारा श्री भोले
27-4-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 जरिए प्र0क्र0 57/मुल/अ-74/2013-14 आदेश दिनांक 01-02-2018 मुताबिक धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है।

2- यह कि आराजी नं0 412 स्थित ग्राम पहोंआ तहसील गुढ़ जिला रीवा का नक्शा सुधार हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि आराजी नं0 409 एवं 410 पश्चिम-दक्षिण की मेंड़ उक्त भूमि रकवा 0-041 हे0 है जिसमें काली लाइन नक्शा में पड़ जाने से रकवा कम हो गया है और रकवा खसरा क्रमांक 414 में समाहित हो गया है जिससे नक्शा सुधार कर रकवा बढ़ाया जाय, यदि नक्शा सुधार नही किया गया तो अनावेदक अवैध रूप से कब्जा कर लेगा जिससे आवेदन स्वीकार कर नक्शा का सुधार किया जाय।

3- यह कि अनावेदक को आहूत किया गया, जिस पर अनावेदक उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन में जवाब प्रस्तुत किया। अनावेदक के अनुपस्थिति में ही

क्रमशः------

(75)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R2607-रीवा/18 / भू–रा0 जिला–रीवा

बैजनाथ पटेल/ संतोष कुमार त्रिपाठी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी0एल0 पटेल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 57 / मूल / अ–74 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य	